

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

कमांक:प.3(37A)निकृवि/नियमन/

जयपुर,दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 35(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी.पी.शुक्ला, निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 37(3) के अधीन मंडी समितियों की उप विधि संख्या 18 में हमाली/मजदूरी दरें (मंडी खर्चे) एक वर्ष में अधिकतम 8प्रतिशत तक की वृद्धि करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation) तुरन्त प्रभाव से क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग को करता हूँ।

६०

(जी.पी.शुक्ला)
निदेशक एवं
पदेन उप शासन सचिव
कृषि विपणन

कमांक:प.3(37A)निकृवि/नियमन/ 19265-19416 जयपुर,दिनांक 22/08/1965

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति.निदेशक, कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
5. समस्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति

निदेशक एवं
पदेन उप शासन सचिव
कृषि विपणन